न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम 48 / 2017

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

राय सिंह मुण्डा..... प्रथम पक्ष

बनाम

सुषेन खण्डित.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
01/12/2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, तमाड़ के अप्राथमिकी सं०–11 / 2017 दिनांक–12 / 04 / 2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। घर के बगल में तालाब बनाने को लेकर हुए विवाद एवं आपसी झगड़ा के कारण उभय पक्ष में तनाव है। **प्रथम पक्ष गवाही–** प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 ईश्वरचन्द्र सेठ ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्ष को जानता हूँ, उभय पक्ष में तालाब खोदने को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। द्वितीय पक्ष तालाब प्रथम पक्ष के दिवाल से सटाकर खोदा है, दोनों पक्षों के बीच में सामाजिक समझौता भी हुआ था, द्वितीय पक्ष सामाजिक समझौता का पालन नहीं किया। उभय पक्ष के झगड़ा के तिथि को नहीं जानता हूँ केस चलने के बाद उभय पक्ष में झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 रायसिंह मुण्डा(पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मेरे घर के सामने दिवाल सटा कर द्वितीय पक्ष द्वारा तालाब खोदने को लेकर विवाद हुआ हैं। द्वितीय पक्ष मेरे घर बनाने के बाद तालाब बनाया है।द्वितीय पक्ष के द्वारा तालाब खोदने की तिथि मालूम नहीं है। उभय पक्ष के बीच में पंचायती हुआ था पंयाचत में घर से 3 (तीन) हाथ छोड़कर तालाब खोदने का फैसला हुआ था। द्वितीय पक्ष पंचायत के फैसले को नहीं माना था। केस चलने के बाद उभय पक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। जरूरत पड़ने पर हाट बाजार भी करता हूँ, हाट बाजार आने जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। **द्वितीय पक्ष गवाही–** द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 सोहन सिंह मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि प्रथम पक्ष जिस जमीन में	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

का खाता है उसका खाता सं०–915 और प्लॉट सं०–6143 है। उक्त प्लॉट में 02 घर है, दोनों घर में किसी तरह का कोई क्षति नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष इस केस में बोला है कि मेरा घर गिर गया है लेकिन प्रथम पक्ष का कोई घर नहीं गिरा है। प्रथम पक्ष का एक दीवार उठा हुआ था वह फट गया है।2014 से दीवार के ऊपर कोई छावनी नहीं लगाया गया था, जिससे बरसात के कारण गिर गया । द्वितीय पक्ष का जमीन प्रथम पक्ष के खाते में ही है लेकिन प्लॉट अलग अलग है। उक्त जमीन का नक्शा देखा हूँ। नक्शा में जमीन अलग अलग निहित है। 21/03/2017 को उभय पक्ष में किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ था। इस तिथि के पहले या बाद में कोई झगड़ा नहीं हुआ है केवल पंचायती हुआ है। अभी उभय पक्ष में किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ है।

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 सुनल चन्द्र दास ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि प्रथम पक्ष ने केस किया है विपक्षी पर भूमि विवाद के कारण प्रथम पक्ष ने अपनी भूमि पर 02 घर बनाया है, मिट्टी वाले घर में रहते हैं तथा ईंट वाले घर में जानवर रखते हैं। दोनों घर सुरक्षित हैं जो ना धंसा है और ना ही दरार पड़ा है। घर के अलावा भूमि पर दीवार बनाया है जिसे छारा नहीं है प्रथम पक्ष का घर नहीं गिरा है। आपसी झगड़ा उभय पक्ष में नहीं हुआ है, शांति है। प्रथम पक्ष का घर नहीं गिरा है। प्रथम पक्ष का घर का दीवार वर्षा पानी से फटा है।

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–03 सुषेन खण्डित (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि राय सिंह मुण्डा यह केस मुझे परेशान करने के लिए किया है। 21/03/2017 को हम दोनों के बीच में कोई विवाद या झगड़ा नहीं हुआ था। प्रथम पक्ष दो घर बनाया है मिट्टी खपरैल के घर में परिवार रहता है एवं ईंट और एस्बेस्टस वाले घर में काड़ा रहता है। दोनों घर सुरक्षित है दोनों घर के दीवार में किसी तरह का कोई दरार नहीं हुआ है। हमदोनों के बीच में सामाजिक समझौता हुआ था जिसमें फैसला हुआ था कि प्रथम पक्ष अपने जमीन में गार्डवाल बनायेगा और द्वितीय पक्ष 3 हाथ छोड़कर तालाब को गहरा कर सकता है जिसका पालन मैंने किया। मैं तालाब का खुदाई नहीं किया हूँ तो प्रथम पक्ष के घर का दीवार फट नहीं सकता है। केस से पहले एवं बाद में भी प्रथम पक्ष से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में तालाब खोदने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। सारे गवाहों एवं कारण पृच्छा से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष के बीच हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है और बाद की कार्रवाई के दौरान भी उभय पक्ष शांति भंग होने के संभावना की पुष्टि नहीं कर पाए। अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किए बिना वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।

01/12/17
कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।